

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास)–बलरामपुर।

पत्रांक C-805/ जिलोकारोडिका/ आंदोलनस्थान/ नियुक्ति/ 2024-25

दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विज्ञाप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या—19/2023/3975/58—1—2022—2/1(22)10 दी0री0 दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना शहर (नगर पालिका परिषद, बलरामपुर), बलरामपुर देहात, हरैया सतगढ़रवा, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, श्रीदत्तगंज, उत्तरौला, गैण्डास बुजुर्ग एवं रेहरा बाजार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय बेवसाइट upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थिनियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है।

क्र०	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण					
		अनु० जनजाति	अनु० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना०	ई०डब्ल्य००एस०	योग
1	शहर	1	7	8	9	3	28
2	बलरामपुर देहात	6	25	32	34	9	106
3	हरैया सतगढ़रवा	5	25	22	20	7	79
4	तुलसीपुर	0	32	29	56	11	128
5	गैसड़ी	2	9	15	27	4	57
6	पचपेड़वा	1	9	7	16	2	35
7	श्रीदत्तगंज	0	10	9	10	3	32
8	उत्तरौला	0	13	10	20	5	48
9	गैण्डास बुजुर्ग	0	17	17	17	5	56
10	रेहरा बाजार	0	14	13	25	4	56
	योग	15	161	162	234	53	625

आवेदन करने की अन्तिम तिथि :—

विज्ञापित पद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए है। रिक्त पदों का ग्रामसभावार विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं विभागीय बेवसाइट upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है। रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 04.11.2024 है।

शैक्षिक योग्यता :—

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

आयु सीमा :—

- (1) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु कट ऑफ दिनांक 01.07.2024 को आवेदिका की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- (2) आयु के सावधान में आवेदिका के शैक्षिक अभिलेख (हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण—पत्र) में अकित जानकारी ही मान्य होगी।

चयन हेतु पात्रता/अर्हता :—

- (क) सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी। :-
 - (1) सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (2) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
 - (3) गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

- (ख) उपरोक्तानुसार कोई महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही :-
 - (1) सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (2) विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासिनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।

- (3) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- (ग) उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में अहं/पात्र महिला अभ्यर्थिनी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्यायपंचायत में से उपरोक्तानुसार ही श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- (च) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- (छ) तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माठ न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- (ज) ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्रों में वह उसी वार्ड की निवासिनी होना अनिवार्य होगा।
- (झ) आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह के पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- (ट) निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- (ठ) एक ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
- (ड) एक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों/पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे।
- आरक्षण:**—ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, तथा अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों हेतु समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण का अनुपालन कर लिया गया है तथा चयन प्रक्रिया के समय प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष विकलांग वर्ग को 3 प्रतिशत व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2 प्रतिशत के निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण—पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन—पत्र प्राप्ति प्रक्रिया:-

- (1) आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फॉर्मेट में केवल ऑनलाईन मान्य होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व—हस्ताक्षरित प्रति, जोकि स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।
- (2) यदि अभ्यर्थिनी द्वारा आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(निहारिका विश्वकर्मा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।

पृष्ठांकन सं० / तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन०आई०सी०) बलरामपुर।
5. समरत उपजिलाधिकारी, जनपद—बलरामपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः एक स्थानीय एवं एक प्रदेश रत्तीय दैनिक समाचार—पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समरत खण्ड विकास अधिकारी/समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथकि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार—प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. समरत बाल विकास परियोजना अधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों का विस्तृत विवरण विकास खण्ड के समस्त कार्यालयों में चस्पा कराते हुए प्रचार—प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित ग्रामप्रधानों को इस अनुरोध के साथ कि ग्रामपंचायतों में प्रचार—प्रसार करने का कष्ट करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।